रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY
PART II— Section 3- Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 1972/पौष 13, 1893
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 1972/PAUSA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIB. 17 JAN 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 30th December 1971

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:—

1. **Short titles, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Petroleum (Storage) Order, 1971.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "associated refinery" means a refinery specified in Part II of the Schedule to this Order;

(b) "petroleum" includes crude oil;

(c) "oil refining company" means a company specified in Part I of the Schedule to this Order.

3. **Maintenance of stocks of petroleum.**—(1) If, with a view to ensuring the maintenance of adequate supplies of petroleum products, the Central Government is of opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by an order in writing, direct all

oil refining companies to maintain, or cause to be maintained, by such date as may be specified in the said Order, such stock of crude oil as may be specified therein and to maintain an inventory of such stock in such form and in such manner as may be specified therein.

(2) Such Order may also contain such supplemental or incidental directions as the Central Government may consider necessary.

(3) Before issuing any order under sub-paragraph (1), the Central Government shall have due regard to—

(i) the operating level of the associated refineries dead stocks periodic cleaning of tanks, minimum storage space required for receiving fresh supplies from tank wagons, pipeline or tanker or both, and cushion for absorbing variations in operations and tanker arrival schedules;

(ii) any other relevant factor.

4. **Oil refining companies to furnish information in relation to stock of crude oil etc.**—(1) Every oil refining company shall furnish to the Central Government, with the time specified in the corresponding entry in column 2 of the Table below, information relating to the matters specified in column 1 of the Table below.

TABLE

1	2
(i) Stock of crude oil held by it on the 10th, 21st and last day of the preceding month of its associated refinery.	By the 3rd, 13th and 24th day of the month, as the case may be.
(ii) Actual consumption and receipt of crude oil after the date on which the previous report was made.	By the 3rd, 13th and the 24th day of the month, as the case may be.
(iii) The following information about each tanker shipment *en route* to the refinery, namely :—	By the 3rd, 13th and the 24th day of the month, as the case may be.
(a) name of the tanker,	
(b) date of sailing of the tanker,	
(c) the expected date of arrival of the tanker at the refinery port,	
(d) the quantities of crude oil expected to be delivered by the tanker.	

(2) In addition to the information referred to in sub-paragraph (1) every oil refining company shall furnish to the Central Government such further information in relation to its storage capacity, stocks, receipts, source of receipts, transfer, import or refining, of crude oil, at such time as may be called for by the Central Government.

(3) Every information referred to in sub-paragraph (2) shall be furnished in such manner and within such time as may be specified by the Central Government.

5. **Power of entry, search and seizure.**—Any Government servant authorised in this behalf by the Central Government, may with a view to securing compliance with this Order, or to satisfy himself that this Order or any order made thereunder has been complied with—

(a) enter and search any place;

(b) seize any stock of crude oil in respect of which he has reason to believe that contravention of this Order has been, or is being, or is about to be, made.

6. **Compliance with directions.**—Every oil refining company to which the direction is issued under this Order shall comply with such directions.

7. Notwithstanding anything contained in any direction issued under paragraph 3, the Central Government may, if it is of opinion that in all the circumstances of the case, it is necessary so to do, by special order, permit any oil refining company to reduce its stock of crude oil at any of its refinery to such level and for such periods as may be specified therein.

THE SCHEDULE

PART I—*Oil Refining Companies*

1. Burmah-Shell Refineries Limited, a company incorporated in India.

2. Esso Standard Refinery Company of India Limited, a company incorporated in India.

3. Caltex Oil Refinery (India) Limited, a company incorporated in India.

4. Assam Oil Company Limited, a company incorporated in the United Kingdom.

5. Indian Oil Corporation Limited, a company incorporated in India.

6. Cochin Refineries Limited, a company incorporated in India.

7. Madras Refineries Limited, a company incorporated in India.

PART II—*Associated Refineries*

1. The Burmah-Shell Refinery situated at Trombay, Bombay (in the case of Burmah-Shell Oil Storage and Distributing Company of India).

2. The Esso Refinery situated at Trombay, Bombay (in the case of ESSO Standard Eastern Inc.).

3. The Caltex Refinery situated at Visakhapatnam [in the case of Caltex (India) Limited].

4. The refinery situated at Digboi (Assam) (in the case of Assam Oil Company Limited).

5. The Refineries situated at Nunmati (Assam), Koyali (Gujarat) and Barauni (Bihar). (in the case of Indian Oil Corporation Limited).

6. Cochin Refinery situted at Cochin (in the case of Cochin Refineries Limited).

7. Madras Refinery situated at Madras, (in the case of Madras Refineries Limited).

[No. F. M-12012/9/71 (SUP).]

P. K. DAVE, Addl. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 8(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का नाम पेट्रोलियम (भंडार) आदेश, 1971 होगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं**.—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहयुक्त परिष्करणी" से इस आदेश की अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट परिष्करणी अभिप्रेत है;

(ख) "पेट्रोलियम" में कच्चा तेल सम्मिलित है ;

(ग) "तेल का परिष्करण करने वाली कम्पनी" से इस आदेश की अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट कम्पनी अभिप्रेत है।

3. **पेट्रोलियम के स्टाकों का बनाए रखना**.— (1) यदि पेट्रोलियम उत्पादों के पर्याप्त प्रदायों को बनाए रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, सभी तेल परिष्करण करने वाली कम्पनियों को, ऐसी तारीख तक, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, कच्चे तेल के स्टाक को जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, बनाए रखने के लिए या बनाए रखवाने के लिए निदेश दे सकेगी और ऐसे स्टाक की, ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, तालिका बनाने के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) ऐसे आदेश में ऐसे अनुपूरक या आनुषंगिक निदेश भी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, अन्तर्विष्ट हो सकेंगे।

(3) उप पैरा (1) के अधीन किसी आदेश को जारी करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार का निम्नलिखित पर सम्यक् ध्यान होगा

(i) सहयुक्त परिष्करणियों का प्रचालन स्तर, बेकार स्टाक, टैंकों की आवधिक सफाई, टैंक वेगनों, पाइपलाइन या ट्रैंकर से, या दोनों से, नए प्रदायों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भंडारकरण स्थान और संक्रियाओं में और टैंकर प्राप्ति के कार्यक्रमों और प्रचालनों में फेरफारों को समा लेने की गुंजाइश ;

(ii) कोई अन्य सुसंगत बात ।

4. **कच्चे तेल आदि के स्टाक के सम्बन्ध में तेल परिष्करण करने वाली कम्पनियों द्वारा जानकारी दिया जाना**.—(1) प्रत्येक तेल परिष्करण करने वाली कम्पनी केन्द्रीय सरकार को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मामलों से सम्बन्धित जानकारी देगी।

सारणी

(1)	(2)
(i) उसके द्वारा 10वें, 21वें, और पूर्व मास के अन्तिम दिन को उसके सहयुक्त परिष्करणी द्वारा कच्चे तेल का धारित स्टाक।	मास के, यथास्थिति, तीसरे 13वें, और 24वें दिन तक

(1)	(2)
(ii) जिस तारीख को पहले रिपोर्ट की गई थी, उस तारीख के पश्चात् कच्चे तेल का वास्तविक उपभोग और प्राप्ति ।	मास के, यथास्थिति, तीसरे 13वें और 24वें दिन तक
(iii) प्रत्येक टैंकर-नौका भरण, जो परिष्करण के रास्ते में हो, उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी, अर्थात् :—	मास के यथास्थिति, तीसरे, 13वें और 24वें दिन तक ।
(क) टैंकर का नाम	
(ख) टैंकर के नौप्रस्थान की तारीख	
(ग) परिष्करणी पत्तन पर टैंकर के पहुंचने की अनुमानित तारीख	
(घ) टैंकर द्वारा प्रवहन किए जाने वाले अनुमानित कच्चे तेल के परिमाण ।	

(2) उपपैरा (1) में निर्दिष्ट जानकारियों के अतिरिक्त, प्रत्येक तेल परिष्करण करने वाली कम्पनी, केन्द्रीय सरकार को, कच्चे तेल के भंडारकरण की क्षमता, स्टाकों, प्राप्तियां, प्राप्तियों को श्रोत, अन्तरण, आयात या परिष्करण के सम्बन्ध में ऐसे समय पर जब केन्द्रीय सरकार द्वारा मांग की जाए, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगी ।

(3) उपपैरा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक जानकारी, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, दी जाएगी ।

5. **प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.**— केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई सरकारी सेवक, इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश या उसके अधीन दिए गए कोई आदेश का अनुपालन किया गया है :—

(क) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(ख) कच्चे तेल के किसी स्टाक का अभिग्रहण कर सकेगा जिसकी बाबत उसे विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है या किया जाने वाला है ।

6. **निदेशों का अनुपालन.**—प्रत्येक तेल परिष्करण करने वाली कम्पनी जिसे इस आदेश के अधीन निदेश जारी किया गया है ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

7. पैरा 3 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी राय हो कि मामले की सभी परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक है, विशेष आदेश द्वारा किसी तेल परिष्करण करने वाली कम्पनी को उसकी किसी परिष्करण पर उसके कच्चे तेल के स्टाक को ऐसे स्तर तक और ऐसी अवधियों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट हो,

कम करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी ।

अनुसूची

भाग I— तेल परिष्करण करने वाली कम्पनियां

1. बर्माशैल रिफाइनरीज लिमिटेड, भारत में निगमित कम्पनी ।

2. एसो स्टेंडर्ड रिफाइनरी कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेंड, भारत में निगमित कम्पनी ।

3. कालटेक्स आइल रिफाइनरी (इण्डिया) लिमिटेंड, भारत में निगमित कम्पनी ।

4. असम आइल कम्पनी लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम में निगमित कम्पनी ।

5. इण्डियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत में निगमित कम्पनी ।

6. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, भारत में निगमित कम्पनी ।

7. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, भारत में निगमित कम्पनी ।

भाग II—सहयुक्त परिष्करणियां

1. ट्राम्बे, मुम्बई में स्थित बर्माशैल रिफाइनरी (बर्माशैल आइल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया के मामले में)

2. ट्राम्बे, मुम्बई में स्थित ऐसो रिफाईनरी (ऐसो स्टेंडर्ड ईस्टर्न आईएनसी के मामले में) ।

3. विशाखापटनम में स्थित कालटैक्स रिफाइनरी [कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड के मामले में] ।

4. डिगबोई (असम) स्थित रिफाईनरी (असम आइल कम्पनी लिमिटेड, के मामले में) ।

5. नूनामती (असम) कोयाली (गुजरात) और बरौनी (बिहार) में स्थित रिफाइनरीज (इण्डियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में) ।

6. कोचीन में स्थित कोचीन रिफाइनरी (कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के मामले में) ।

7. मद्रास में स्थित मद्रास रिफाइनरी (मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के मामले में)।

[सं० फा० एम–12012/9/71 (एस० यू० पी०)]

प्रसन्न क० देवे, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972